

Duplicate Copy

29-Jun-2024

आदेश

तिथि

Feb 13 2023

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नारायणपुर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
17	54	0 एकड़, 2.34 डिसमील, 0 हेक्टर
17	56	0 एकड़, 0.96 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री हीरालाल मंडल और अन्य	पिता	स्व उपेंद्र नाथ मंडल

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1009 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
उपेंद्र नाथ मंडल वो नगेन्द्र नाथ मंडल वो मनिन्द्र नाथ मंडल	पिता	तुधू मंडल
धनजय मंडल वो सुवल मंडल	पिता	वैकुण्ठ मंडल
वकील मंडल वो धीरेन्द्र नाथ मंडल	पिता	लखु मंडल
जोगेन्द्र मंडल वो पति मंडल	पिता	रामनाथ मंडल
सतीश चन्द्र मंडल	पिता	रुपनाथ मंडल
मो० भोला मंडलानी	पति	रुपनाथ मंडल
खगेन मंडल	पिता	चरण मंडल

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **5रुपये****स्वीकृत**

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अंचलाधिकारी धनबाद

